राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1587/2022

1. भारत संघ, महाप्रबंधक (कार्मिक), उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. सहायक कार्मिक अधिकारी (रेक्टर), उत्तर पश्चिम रेलवे, दुर्गापुरा, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

हरेन्द्र गवारिया पुत्र श्री खींवा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम जसराना तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री पी.सी. शर्मा, अधिवक्ता, वीसी के माध्यम से।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री देवेन्द्र शर्मा, सलाहकार, के लिए श्री बलराम वशिष्ठ, अधिवक्ता, वीसी के माध्यम से।

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

निर्णय

04/02/2022

रिपोर्टेबल

(न्यायालय द्वारा:- प्रति माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड)

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध दायर की गई है। मूल आवेदन संख्या 291/683/2013 जिसके तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता संख्या 1-यूनियन ऑफ इंडिया को सभी परिणामी लाभों के साथ समूह-डी के पद पर प्रत्यर्थी को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है। और उक्त कार्य उसकी

प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर किया जाना था।

2. मामले के मुख्य तथ्य यह हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती सेल ने 16.12.2010 को एक विज्ञापन संख्या 02/2010 जारी किया था जिसके द्वारा ग्रुप 'डी' अर्थात ट्रैक मैन, ट्रैफिक खल्लासी, हेल्पर सफाईकर्मी, रसोइया आदि के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, प्रत्यर्थी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की श्रेणी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, उन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और शारीरिक पात्रता परीक्षा में भाग लिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें वह उत्तीर्ण हो गए। अंततः, प्रत्यर्थी को फिट पाया गया, लेकिन बाद में उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.07.2013 के माध्यम से उसकी उम्मीदवारी को इस कारण से अपास्त कर दिया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर समय-सीमा में नहीं था।

3. प्रत्यर्थी ने अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया और दलील दी कि उसके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर मापदंडों के भीतर था और उक्त पोस्टल ऑर्डर की राशि रेलवे विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी और इसे उसके लेखे में जमा भी कर दिया गया था, लेकिन अनजाने में आवेदन-पत्र में पोस्टल ऑर्डर का गलत वर्ष अंकित हो गया। प्रत्यर्थी ने मूल आवेदन में अनुरोध किया कि उसने व्यक्तिगत रूप से रेलवे कार्यालय से संपर्क किया और अनुरोध किया कि पोस्टल ऑर्डर की राशि उचित थी लेकिन अनजाने में हुई गलती से पोस्टल ऑर्डर की तारीख गलत बताई, जिसे ठीक करने के लिए उसने प्रार्थना की। प्रत्यर्थी ने आगे दलील दी कि रेलवे अधिकारियों द्वारा पोस्टल ऑर्डर की राशि प्राप्त कर ली गई और उसके बाद उसे भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई और अंततः उसे योग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी उम्मीदवारी को केवल अति-तकनीकी आधार पर गलत तरीके से अपास्त कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात भारत संघ ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन में दिए गए कथनों का विरोध करते हुए दलील दी कि विज्ञापन की शर्त संख्या 8.11 के अनुसार, प्रत्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए अयोग्य था और अधिकारियों द्वारा उसकी उम्मीदवारी सही तरीके से अपास्त कर दी गई थी।

5. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल

आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता-विभाग को सभी परिणामी लाभों के साथ ग्रुप-डी के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया।

6. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी दिनांक 16.12.2010 के विज्ञापन के पैरा संख्या 8.11 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर नियुक्ति पाने का पात्र नहीं है। प्रत्यर्थी ने 20.01.2010 को जारी पोस्टल ऑर्डर के विवरण का उल्लेख किया है उनके आवेदन-पत्र में और विज्ञापन के पैरा 8.11 के उप-पैरा (XV) के अनुसार, प्रत्यर्थी का आवेदन-पत्र उसके द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर अपास्त किया जा सकता था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विज्ञापन के पैरा संख्या 7.4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन की तारीख से पहले या छह माह की वैधता से परे जारी अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार, विज्ञापन के पैरा संख्या 7.4 और 8.11 में उल्लिखित शर्तों के मद्देनजर, प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को सही ढंग से अपास्त कर दिया गया था और न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति देने में त्रुटि की है।

अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने "भारत संघ और अन्य बनाम सरवन राम और अन्य" 08.10.2014 को अपील संख्या 706/2014 की विशेष अनुमति और "बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदाउल्लाह खान और अन्य" और 2011 की सिविल अपील संख्या 8343-8344 में 28.09.2011 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का विरोध किया और कहा कि विज्ञापन की तारीख 16.12.2010 थी और प्रत्यर्थी ने 20.01.2011, को जारी पोस्टल ऑर्डर संख्या 87F 980777/78 प्रस्तुत किया जो आवेदन के साथ संलग्न था, लेकिन अनजाने में हुई चूक से वह आवेदन-पत्र में पोस्टल ऑर्डर की तारीख 10.01.2011 अंकित नहीं कर सका। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पोस्टल ऑर्डर की राशि याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और उसे उसके लेखे में जमा कर दिया गया था और इसे स्वीकार करने के

बाद, प्रत्यर्थी को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद वह लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में सफल हुए। अंत में, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई गलती से किसी तीसरे पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने में कोई अवैधता नहीं की है।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

10. इस याचिका में जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या रेलवे विभाग द्वारा प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को केवल मानवीय त्रुटि/सच्ची गलती के आधार पर अपास्त किया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा पोस्टल ऑर्डर की तारीख का गलत उल्लेख किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि पोस्टल ऑर्डर सीमा अवधि के भीतर जारी किया गया था, आवेदन में। लेकिन मानवीय भूल से, प्रत्यर्थी ने पोस्टल ऑर्डर की गलत तारीख सही तारीख अर्थात 10.01.2011 के बजाय 10.01.2010 बता दी?

11. मामले की तथ्यात्मक सामग्री को देखने के बाद, रिकॉर्ड से यह पता चला है कि याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 16.12.2010 के अनुसरण में, प्रत्यर्थी ने अपेक्षित पोस्टल ऑर्डर और अन्य प्रासंगिक के साथ आवेदन-पत्र जमा किया था। दस्तावेज़. इसके बाद, उन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण पास किया और अंततः उन्हें फिट पाया गया, लेकिन विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2013 के आदेश के तहत उनकी उम्मीदवारी को मुख्य रूप से इस कारण से अपास्त कर दिया गया कि उसके द्वारा पोस्टल ऑर्डर सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर उचित राशि का था जिसका संख्या 87एफ 980777/78 था और यह याचिकाकर्ता-विभाग का मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी ने आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है, पोस्टल ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर की राशि अपर्याप्त थी लेकिन याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा एकमात्र आपत्ति यह उठाई गई कि पोस्टल ऑर्डर के संबंध में आवेदन-पत्र में उल्लिखित तिथि 10.01.2010 थी। दरअसल पोस्टल ऑर्डर की तारीख 10.01.2011 थी। याचिकाकर्ता-विभाग के अधिवक्ता द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पोस्टल ऑर्डर की राशि रेलवे विभाग के लेखे में जमा की गई थी। याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह है कि आवेदन में

उल्लिखित पोस्टल ऑर्डर की तारीख छह माह की वैधता से परे थी।

12. “गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है”, गलती दो प्रकार की हो सकती है। पहली तरह की गलती वह नहीं होगी जहां गलती से कोई भी प्रभावित नहीं होता है और दूसरी गलती वह होगी जहां गलती से कोई तीसरा पक्ष प्रभावित होता है। दो गलतियों में अंतर यह होगा कि जहां पहली गलती को सुधारने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, वहीं दूसरी गलती को सुधारने से पूर्वाग्रह पैदा होगा।

13. इस सादृश्य को खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1700/2017 का निर्णय लेते समय इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विचार के लिए लिया गया है। 01.11.2017 को "कविता चौधरी बनाम" के मामले में रजिस्ट्रार (परीक्षा), जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि मानवीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है, बशर्ते कि किसी तीसरे पक्ष का अधिकार प्रभावित न हो। यह भी माना गया है कि एक वास्तविक गलती जो किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है, उसे ठीक करने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि उक्त गलती के सुधार से किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने "राजस्थान राज्य बनाम" दातार सिंह, डी.बी.एस.ए.डब्लू. क्रमांक 875/2012 दिनांक 11.10.2017 को लिए गए निर्णय पर भरोसा रखा है।

14. यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी की गई है। लेकिन आवेदन में पोस्टल ऑर्डर की गलत तारीख का उल्लेख करने में प्रत्यर्थी की ओर से त्रुटि/गलती हुई। एक बार जब याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा पोस्टल ऑर्डर की अपेक्षित शुल्क राशि प्राप्त करने के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिसे उसके लेखे में जमा कर दिया गया और बाद में प्रत्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई, तो याचिकाकर्ता-विभाग को उम्मीदवारी को प्रत्यर्थी के केवल अति-तकनीकी आधार पर अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कल्याणकारी राज्य से निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन इस मामले में, प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को केवल इस आधार पर अपास्त करना याचिकाकर्ता-विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित थी कि उसने पोस्टल ऑर्डर की गलत तारीख 10.01.2011 के स्थान पर 10.01.2010 का उल्लेख किया था। जब एक बार शुल्क की अपेक्षित राशि याचिकाकर्ता-विभाग के लेखे में जमा कर दी गई और उसके बाद प्रत्यर्थी को पूरी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई, तो याचिकाकर्ता-विभाग अपना रुख बदलने पर अड़ गया।

15. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जब भी पर्याप्त न्याय और अति-तकनीकीता के बीच संघर्ष होता है तो न्याय के उद्देश्यों की हार से बचने के लिए पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि याचिकाकर्ता के अतितकनीकी रुख को वैसे ही खड़ा रहने दिया गया तो यह न्याय की विफलता होगी। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी गौर करें कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में की गई एकमात्र गलती यह थी कि उसने गलती से पोस्टल ऑर्डर की तारीख 10.01.2011 के बजाय 10.01.2010 अंकित कर दी थी। इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने के बाद, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर की राशि याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई थी जिसे याचिकाकर्ता-विभाग द्वारा जमा कर दिया गया था। और उसके आधार पर, प्रत्यर्थी को पूरी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता या तो श्रेणी में किसी बदलाव का दावा कर रहा है या किसी व्यक्ति के अधिकार को हराने के लिए आरक्षण का कोई लाभ मांग रहा है।

17. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है। कोर्ट याचिकाकर्तागण के मामले को स्वीकार करने में असमर्थ है. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय के हाथों किसी गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर खंडपीठ, जयपुर द्वारा ओए संख्या 291/683/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 की पुष्टि की जाती है।

18. याचिकाकर्ता-विभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी को समूह-डी के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति दी जाए, यदि वह मौद्रिक लाभ को छोड़कर अन्यथा उक्त पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर की जाएगी।

19. तद्नुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

20. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए गए हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(पंकज भंडारी), न्यायमूर्ति**

PRAVESH/58

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।